

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 602

दिनांक :- 2.8.22

॥ कार्यालय आदेश ॥

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 570 दिनांक 25.07.2022 में अपरिहार्य कारणों से संशोधन किया जाकर दिनांक 07.08.2022 व दिनांक 21.08.2022 के राजकीय अवकाशों के लिए निम्न अधिकारीगण को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1.	समीक्षा गौतम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9799820956	07.08.2022
2.	राजीव चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9610448989	21.08.2022

उक्त दिनांक को श्री राजीव चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह मोबाईल नम्बर 9610448989 के स्थान पर श्रीमति भावना भार्गव, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा मोबाईल नम्बर 9784136385 को टोंक न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकरिमक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्याय क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त इयूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही सम्बन्धित अधिकारी के इयूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

sd
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक।

क्रमांक :- 603 - 625

दिनांक :- 2.8.22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/उनियारा/मालपुरा/टोडारायसिंह।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/उनियारा/मालपुरा/दूनी/देवली/पीपलू।
4. अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
6. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक।
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
9. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

sd
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक।